



प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

(पत्रांक-200/2021 दिनांक 22.07.2021)

दिनांक- 22.07.2021 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(01)

थाना सेवरही-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री सचिन्द्र पटेल के निर्देशन में जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.07.2021 को थाना सेवरही पुलिस टीम द्वारा गनेशा पट्टी रेगुलेटर गगलवा पूल पर जाने वाले नहर रोड के पास से थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 177/2021 धारा 395,397,307 भादवि0 से संबंधित वांछित अभियुक्त संदीप राय पुत्र मदन राय साकिन दुदही (जेरात) थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त-

संदीप राय पुत्र मदन राय साकिन दुदही (जेरात) थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

विवरण बरामदगी -

बरामद शुदा एक अदद मोटरसाईकिल

गिरफ्तार करने वाली टीम -

- 1-SO महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी थाना सेवरही जनपद कुशीनगर।
- 2- उ0नि0 शनि कुमार जावला थाना सेवरही जनपद कुशीनगर।
- 3- का0 इन्द्रभान यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर।
- 4- का0 प्रवीन्द्र यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर।
- 5- का0 रोशन त्रिपाठी थाना सेवरही जनपद कुशीनगर।
- 6- का0 गुरुप्रसाद यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर।

अवैध शराब विक्री/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध कार्यवाही-(02)

थाना कप्तानगंज-

थाना कप्तानगंज पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त कोदई पुत्र स्व0 बाबुराम साकिन महतो टोला लोहेपार थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 234/21 धारा 60 आबकारी अधि0 में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना विशुनपुरा-

थाना विशुनपुरा पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त सुदर्शन पुत्र प्रभु साकिन जंगल नौगांवा थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 15 शीशी बण्टी बबली देशी शराब प्रत्येक शीशी में (200ML) बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 152/21 धारा 60 आबकारी अधि0 में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 13 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

1. मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान- 222 वाहन।

2. 107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-13, अभि0-44 ।

3. वांछित अभियुक्तों कि गिरफ्तारी -(01)

4. आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही मु0-02, अभि0-02, बरामदगी-10 ली0 कच्ची शराब व 15 शीशी बण्टी बबली देशी शराब

5. जनपद में कुल गिरफ्तारी -(कुल-16)

मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर